न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 34/2017   दायर दिनांक–21.02.2017

1. परमेश्वरी देवी पत्नी युगलकिशोर जाति चेजारा निवासी गोल्याणा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

–वादी

1. कमलेश पुत्र युगलकिशोर
2. धर्मेन्द पुत्र युगलकिशोर
3. विधा देवी पुत्री युगलकिशोर
4. महाबीर प्रसाद पुत्र नवलकिशोर (मृतक)
   4/1 चावली देवी पत्नी स्व0 महाबीर प्रसाद
   4/2 गणेश पुत्र स्व0 महाबीर प्रसाद (मृतक)
   4/2/1 चन्दा देवी पत्नी स्व0 गणेश
   4/2/2 पारस पुत्र स्व0 गणेश
   4/2/3 कृष्ण पुत्र स्व0 गणेश
   4/2/4 भोली कुमारी पुत्री स्व0 गणेश
   4/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 महाबीर प्रसाद
   4/4 भंवरी देवी पुत्री स्व0 महाबीर प्रसाद
   4/5 सम्पति देवी पुत्री स्व0 महाबीर प्रसाद
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री बाबुलाल वर्मा
वकील प्रतिवादी :– श्री रामाकांत गौड़

दावा बाबत : घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–29.07.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 953/896 रकबा 0.57 है0 स्थित है। उक्त भूमि स्व0 युगकिशोर की खातेदारी की भूमि है। वादिया व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 स्व युगलकिशोर के वैध उत्तराधिकारी होने के कारण उन्हे उत्ताधिकार में मिली है। अतः उक्त भूमि में वादिया व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 4/1 लगायत 4/5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त भूमि में वादिया व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें तथाा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादिया [illegible] पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–70 [illegible]वेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी [illegible] पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपल[illegible]स्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2067–70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि [illegible] भूमि वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के पति व पिता स्व0 युग[illegible]ोर की खातेदारी की भूमि [illegible]। जो कि उक्त जमाबंदी में एकमात्र खातेदार काश्तकार है। स्व0 युगलकिशोर के विधिक वारिसान वादिया व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 03 है। फलस्वरूप उक्त भूमि वादिया व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा प्रतिवादी सं0 4/1 लगायत 4/5 को उक्त भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:20:45 IST
Reason: SelfAttested

—:: **आदेश** ::—

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 953/896 रकबा 0.57 है0 भूमि में वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 03 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 4/1 लगायत 4/5 को उक्त भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करने तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:20:45 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ, व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 34/2017 **(परमेश्वरी देवी बनाम कमलेश आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 29.07.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 953/896 रकबा 0.57 है0 भूमि में वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 03 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 4/1 लगायत 4/5 को उक्त भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करने तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:20:45 IST
Reason: SelfAttested